International Journal of Arts, Humanities and Social Studies

ISSN Print: 2664-8652
ISSN Online: 2664-8660
Impact Factor: RJIF 8
IJAHSS 2023; 5(1): 104-106
www.socialstudiesjournal.com
Received: 24-04-2023
Accepted: 30-05-2023

सुश्री अपूर्वा सिंह
एस एस खन्ना महिला महाविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

लालिमा सिंह
प्रो. एस एस खन्ना महिला महाविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
सुश्री अपूर्वा सिंह
एस एस खन्ना महिला महाविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

महिला सशक्तिकरणः संवैधानिक विश्लेषण

सुश्री अपूर्वा सिंह, लालिमा सिंह

DOI: https://doi.org/10.33545/26648652.2023.v5.i1b.53

सारांश
किसी भी राष्ट्र के विकास में समाज के प्रत्येक व्यक्ति वर्ग, जाति, समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। विकास की इस अवधारणा में हम महिलाओं की सहभागिता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतिहास इसका साक्षी है कि राष्ट्र के विकास में महिलाओं की सहभागिता ने पूरे विश्व के सामने एक मानक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। लकिन विश्व के गिने-चुने विकसित देशों को छोड़ दे तो बाकी बचे देशों में महिलाओं की भूमिका पुरूषों से भी कम है। आज भी बहुत से देशों में महिलाएं पुरातनवादी व्यवस्था में जा रहीं है। महिलाओं को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए एवं पुरातन व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान की जाए। महिलाओं के लिए इस प्रयास की प्रक्रिया को ही ''महिला सशक्तिकरण' कहते हैं। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को पुरूषों के बराबर सामाजिक, आर्थिक, रानैतिक, वैधानिक एवं मानसिक क्षेत्रों में एसके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतन्त्रता से है। महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए संविंधान में भी कई प्रावधान हैं। यह लेख संविधान के प्रावधान एवं मनरेगा कानून के विश्लेषण को दर्शाने का प्रयास है।

कूटशब्दः महिला सशक्तिकरण, संवैधानिक विश्लेषण, जाति

प्रस्तावना
महिला सशक्तिकरण एवं संविधान
भारत के संविधान में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण हेतु निम्नलिखित प्रावधान उल्लेखित हैं:

1. उद्देशिका
हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को: न्याय,

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए...[1]

2. विधि के समक्ष समता
राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के सामान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा[2]

3. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णत: या अंशत: राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता दायित्व निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।
15(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।[3]

4. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
16(1). राज्य के अधीन किसी पद नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
16(2). राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा ।[4]

5. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

6. अनुच्छेद 21क: शिक्षा का अधिकार
राज्य छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा।[5]

7. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39**A** का विवरण - समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
क. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योषयता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा[6]

8. राज्य द्वारा पालन की जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा।
39(ए नागरिकों पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है।[7]

9. अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध:
राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा[8]

10. मनरेगा
मनरेगा एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून है जिसके तहत रोजगार गारंटी की अभूतपूर्व व्यवस्था है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य रोजगार के लिए पूरक अवसर उपलब्ध

[1] उद्देशिका, भारत का संविधान।
[2] अनुच्छेद १४, भारत का संविधान
[3] अनुच्छेद १५, भारत का संविधान
[4] अनुच्छेद १६, भारत का संविधान
[5] अनुच्छेद २१ क , भारत का संविधान
[6] अनुच्छेद ३९ A, भारत का संविधान
[7]
[8] अनुच्छेद ४२ , भारत का संविधान

कराना है। विकास मैं निरन्तरता रखने के लिए राष्ट्रीय संसाधनो के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने के लिहास से मनरेगा एक सहयोगात्मक संसाधन है। मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यो में जल संरक्षण वृक्षारोपण भूमि विकास आदि ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित काम है। अनुसूचित जाति जनजाति गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार वर्ग को सिचाई सुविधा बागबानी वृक्षारोपण जैसी योजनाओं से सम्बन्धित कार्य सौपे जाते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि इसके जरिये लोकतन्त्र के सबसे निचले स्तर तक लाभ पहुँचाया जा सके और सरकार के कार्यो में पारदर्शिता और जवाब देही तय की जा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 देश का एक ऐसा पहला अधिनियम है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराता है। इस योजना का शुभारम्भ 2 फरवरी 2016 को देश के 200 जिलों में लागू किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को वर्ष में 100 दिनों का शारीरिक श्रम युक्त रोजगार पाने का अधिकार है।[9]

वर्ष 2007-2008 में इस योजना का विस्तार 330 जिलों में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए अप्रैल 2008 में पूरे देश में लागू कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना का नाम बदलकर 'नरेगा' से 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना' कर दिया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएः-

ग्रामीण परिवार का कोई भी व्यस्क सदस्य यदि अकुशल श्रम के तहत कार्य करने के इच्छुक है तो वह आवेदन कर सकता है।

ऐसे परिवारों को स्थानीय ग्राम पंचायत में लिखित या मौखिक रुप से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है।

जाँच पड़ताल के पश्चात् ग्राम पंचायत इच्छुक सभी सदस्यों का फोटो युक्त जॉब कार्ड जारी करता है।

रोजगार के लिए आवेदन के बाद 15 दिनों के अन्दर उसे काम दे दिया जाता है।

इस योजना के तहत कम से कम 1/3 भाग महिलाओं को काम दिये जाने की व्यवस्था है।[10]

कार्य के दौरान कार्यस्थल पर कार्य कर रही महिलाओं के 6 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे की देखभाल की व्यवस्था की जाती है।

घर से 5 किलोमीटर के आस-पास के क्षेत्रों में ही रोजगार दिया जाता है।

मजदूरी कम से कम 60 रु प्रतिदिन हो सकती है जिसका भुगतान बैंक खातों के जरिए होता है।

योजना को बनाने एवं लागू करने में पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

सन्दर्भ

1. शर्मा प्रेम नारायण एवं वाणी विनायक, २०११ गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण लखनऊ पृ ४५
2. कुमावल ललित २००४ पंचायती राज एवं वंचित महिला समूह का उभरता नेतृत्व नई दिल्ली पृ २४
3. महात्मा गाँधी मनरेगा समीक्षा, २९१३-१४ ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली पृ ८५
4. सदर्शन रत्न २००६ ''वूमेन एंड नरेगा'' आई एल ओ रिपोर्ट पृ ८
5. भारत का संविधान

[9] कुमावल ललित २००४ पंचायती राज एवं वंचित महिला समूह का उभरता नेतृत्व नई दिल्ली पृ २४

[10] सदर्शन रत्न २००६ ''वूमेन एंड नरेगा'' आई एल ओ रिपोर्ट पृ ८